

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

197

क्रमांक एफ 44 -12/20-2/2006
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/8/06

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म०प्र० भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण
बाबत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल
खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है
संलग्न:- परिशिष्ट एक एवं दो

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/8/06

पृ०क्र०एफ 44-12/20-2/2006
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- 2- सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग भोपाल
- 3- सचिव, म०प्र० शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
- 4- समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र०
- 5- समस्त कलेक्टर, म०प्र०
- 6- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र०
- 7- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म०प्र०

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाईस्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना। (इस राशि में विधायक निधि/ सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना। (इस राशि में विधायक निधि/ सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी।)

अबर सचिव
म.0.प.0.शा.तन, स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल व उच्चतर माध्यमिक शालाएँ खोलने हेतु वर्तमान मापदण्ड — मापदण्ड

क्र.	वर्तमान मापदण्ड	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		हाई स्कूल		नये मापदण्ड	
		वर्तमान मापदण्ड	नये मापदण्ड	वर्तमान मापदण्ड	नये मापदण्ड		
		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा / कन्या शाला	सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा / कन्या शाला
1	जनसंख्या	3000	6000	3000	1500	3000	2000
2	इसी प्रकार की विद्यमान शाला से निकटतम दूरी	5 कि.मी.	5 कि.मी.	8 कि.मी.	3 कि.मी.	3 कि.मी.	5 कि.मी.
3	पोषक शालाओं में फीडर कक्षाओं की कुल दर्ज संख्या	100	100	100	80	80	80
4	कालांतर में भवन निर्माण हेतु शासकीय / निजी (दान की) उपलब्ध भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय	2 एकड़ वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
5	जनसहयोग	अन्य बातें समान होने पर जनसहयोग उपलब्ध होने पर किसी स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।					
6	टीप	<p>1. यदि क्षेत्र की शालाओं में कुल दर्ज छात्रा संख्या इतनी हो कि शिक्षक - छात्रा अनुपात 1:45 से अधिक हो गया हो तो दूरी की शर्त लागू नहीं होगी।</p> <p>2. किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा।</p> <p>3. शाला की स्थापना करने वाली जनपद पंचायत को यह संकल्प पारित करना होगा कि वह शीघ्र ही विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करेगा। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु विभाग से तथा प्राथमिक / कनिष्ठ विद्यालय हेतु जनसहयोग रा.यो. आदि के तहत से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।</p>					

(Handwritten signature)